



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266259
CG-DL-E-19092025-266259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947

No. 615]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 692(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 664 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के -

- पृष्ठ 18, पंक्ति 10 में, “परिवहन के” के स्थान पर “परिवहन में” पढ़ें;
- पृष्ठ 23, पंक्ति 1 एवं 3 में, “स्थानीय वितरण” के स्थान पर “स्थानीय डिलीवरी” पढ़ें;

[फा. सं. 190341/188/2025- TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CORRIGENDA

New Delhi, the 19th September, 2025

G.S.R. 693(E).—In the notification number 15/2025 - Integrated Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 17th September, 2025, -

- (i) page 27, line 25, *for* “1.”, *read* “(b)”;

[F. No. 190341/188/2025-TRU]

MD. ADIL. ASHRAF, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 694(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 15/2025-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 665 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के,

- (i) पृष्ठ 33, पंक्ति 24 में, “परिवहन के” के स्थान पर “परिवहन में” पढ़ें;
(ii) पृष्ठ 41, पंक्ति 25 में, “केंद्रीय कर” के स्थान पर “संघ राज्य कर” पढ़ें;

[फा. सं. 190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 19th September, 2025

G.S.R. 695(E).—In the notification number 15/2025 - Union Territory Tax (Rate), dated the 17th September, 2025, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 665(E), dated the 17th September, 2025, -

- (i) page 44, line 20, *for* “(against”, *read* “against”;
(ii) page 50, line 16, *for* “central tax”, *read* “union territory tax”;

[F. No. 190341/188/2025- TRU]

MD. ADIL. ASHRAF, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 696(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2025-केंद्रीय कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 666 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के,

- (i) पृष्ठ 52, पंक्ति 4, 5, 36 एवं 37 में, “स्थानीय वितरण” के स्थान पर “स्थानीय डिलीवरी” पढ़ें;

[फा. सं. 190341/188/2025- TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 697(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2025-एकीकृत कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 667 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के -

- (i) पृष्ठ 55, पंक्ति 8, 9, 41 एवं 42 में, “स्थानीय वितरण” के स्थान पर “स्थानीय डिलीवरी” पढ़ें;

[फा. सं.190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 698(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 16/2025-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 668 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के,

- (i) पृष्ठ 58, पंक्ति 19 एवं 20 में, “स्थानीय वितरण” के स्थान पर “स्थानीय डिलीवरी” पढ़ें;

- (ii) पृष्ठ 60, पंक्ति 4 एवं 5 में, “स्थानीय वितरण” के स्थान पर “स्थानीय डिलीवरी” पढ़ें;

[फा. सं.190341/188/2025-TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 699(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2025-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांकित 17 सितम्बर, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 671 (अ), दिनांक 17 सितम्बर, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के,

- (i) पृष्ठ 65, पंक्ति 24 में, “उप-खंड (v)” के स्थान पर “उप-खंड (vi)” पढ़ें;

[फा. सं.190341/188/2025- TRU]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव